उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2662021, 2662180 ईमेल : secy-uic@gov.in

सख्या : 1547 /मु.सू.आ./2022–23 दिनांक : 21 मई 2022

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी/उत्तराखण्ड।
4. समस्त कुलपति/अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

महोदया/महोदय,

प्रदेश में नवम्बर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के उपरान्त विभिन्न राजकीय कार्यालयों में अधिनियम के प्राविधानों के कियान्वयन के सम्बन्ध में अच्छा कार्य किया गया है। लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा इस अवधि में कई हजार सूचना आवेदन पत्रों तथा प्रथम अपीलों का नियमानुसार निस्तारण करते हुये सूचना आवेदनकर्ताओं को वांछित सूचना दिलायी जाने का सराहनीय कार्य किया गया है। विगत दो वर्षों में कोरोना संक्रमण के कारण सूचना आवेदन पत्रों एवं प्रथम अपीलों के निस्तारण में कुछ शिथिलता आयी है, तथा अब यह आवश्यक है कि लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपने अन्य राजकीय दायित्वों के साथ–साथ सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपने दायित्वों का भली–भांति निर्वहन किया जाये।

2. उत्तरखण्ड सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलों की सुनवाई के मध्य यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सूचना अनुरोधकर्ताओं को लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय से सूचना प्रदान न किए जाने के कारण विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष जो प्रथम अपील प्रस्तुत की जाती है उनको प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सरसरी तौर पर निस्तारण करते हुये लोक सूचना अधिकारी को सूचना दिये जाने के निर्देश दिये जाते हैं, किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश के पश्चात् भी अनुरोधकर्ताओं को सूचनाएं समय से प्राप्त नही होती है, जिस कारण उन्हें सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करनी पडती है। सूचना समय से न मिलने के कारण सूचना अनुरोधकर्ता के अधिकार का हनन के साथ–साथ विभागों की पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है।

3.. **उत्तराखण्ड शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 231 /xxxi (15) 2016 G-07 (रा0सू0आ0)/2015 दिनांक 17/02/2015 के द्वारा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रकिया सम्बन्धी दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे जिसके अन्तर्गत प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील के निस्तारण में 15–15 दिन की तारीखें लगाकर लोक सूचना अधिकारी को सूचना दिये जाने हेतु निर्देशित करने व जब तक अनुरोध पत्र की सभी दी जाने वाली सूचनाएं प्रेषित न कर दी जाएं, तब तक अपील का निस्तारण न करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था।**

3. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उक्त शासनादेश का अनुपालन प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों के स्तर से नही किया जा रहा है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्तर से प्रथम अपील निस्तारण हेतु निर्धारित अवधि के भीतर सूचना दिलाये जाने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए जिससे राज्य सरकार की छवि उज्जवल हो सके तथा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभागों में पारदर्शिता कायम रखी जा सके। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित शासनादेश के अनुपालन हेतु अपने अधीनस्थ विभागीय अपीलीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हुये आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल चन्द्र पुनेठा)
मुख्य सूचना आयुक्त

संलग्न : यथोपरि।

संख्या–231/xxxi(15)2016G-07(रा0सू0आ0)/2015

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2–मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4–समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 17 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2015

विषयः– प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकरियों द्वारा प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रकिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2012–2013 द्वारा संस्तुति की गई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, के अन्तर्गत प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी, प्रथम अपील के निस्तारण में मात्र लोक सूचना अधिकारी को सूचना 10 दिन या एक सप्ताह आदि अवधि में प्रेषित किए जाने के मात्र निर्देश दे रहे है, उनके द्वारा यह नहीं देखा जा रहा है कि क्या धारा–8 के विभिन्न प्राविधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न मा0 उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के परिपालन में सम्बन्धित सूचना दी सकती है कि नहीं, जिस कारण आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलें प्रस्तुत हो रही हैं। आयोग द्वारा संस्तुति की गयी है कि प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को चाहिए कि 15–15 दिन की तारीखें लगाकर लोक सूचना अधिकारी को सूचना दिए जाने हेतु निर्देशित करें व तब तक अपील का निस्तारण न करें जब तक कि अनुरोध पत्र की सभी दी जाने वाली सूचनायें प्रेषित न कर दी जाये।

2– इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1427/xxxi(15)G-07(रा0सू0आ0)/2015 दिनांक 13 जून,2012 के द्वारा भी प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा निर्देश निर्गत किए गये हैं।

3– उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2012–2013 की संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी, प्रथम अपील के निस्तारण में 15–15 दिन की तारीखें लगाकर लोक सूचना अधिकारी को सूचना दिए जाने हेतु निर्देशित करें व तब तक अपील का निस्तारण न करें जब तक कि अनुरोध पत्र की सभी दी जाने वाली सूचनायें प्रेषित न कर दी जाये। उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या–/xxxi(15)2016G-07(रा0सू0आ0)/2015,तददिनांक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–सचिव,उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून ।
2–मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल ।
3–समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5–निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
6–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
प्रभारी सचिव